

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना** को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका कुल परवियय 7453 करोड़ रुपए है।

- इस योजना में 6853 करोड़ रुपए के परवियय के साथ 1 GW (गीगावाट) क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना भी शामिल है, जिसमें गुजरात और तमलिनाडु के तटों पर 500 मेगावाट क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - अपतटीय पवन ऊर्जा **नवीकरणीय ऊर्जा** का वह स्रोत है जो उच्च पर्याप्तता और विश्वसनीयता, कम भंडारण आवश्यकता जैसे कई लाभ प्रदान करती है।
- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित VGF योजना, वर्ष 2015 में अधिसूचित राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को लागू करने की दशा में एक बड़ा कदम है।
 - VGF कुल परियोजना लागत का 40% तक का सरकारी अनुदान होता है, जो उन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हैं, लेकिन वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
- सरकार से VGF समर्थन अपतटीय पवन परियोजनाओं से वदियुत की लागत को कम करेगा और उन्हें **वितरण कंपनियों (DISCOM)** द्वारा खरीद के लिये व्यवहार्य बना देगा।

और पढ़ें: **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना**